रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1934] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2014/आश्विन 1, 1936
No. 1934] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2014/ASHVINA 1, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2014

का.आ. 2456(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 985(अ), तारीख 4 मई, 2011, और का.आ. 2943(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में तारीख 4 मई, 2011 और 30 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थातः—

पूर्वोक्त अधिसूचना की प्रस्तावना और अनुसूचियों में जहां–कहीं भी ''रमाबाई नगर'' प्रविष्टि आती है उसके स्थान पर ''कानपुर देहात'' प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए ।

[फा. सं. 11013/2013/एलए–नोटिफ./पीआइयू–कानपुर]

माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पणी :– मूल अधिसूचना का.आ. 985(अ), तारीख 4 मई, 2011, और का.आ. 2943(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii), तारीख 4 मई, 2011 और 30 सितम्बर, 2011 में प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2014

S.O. 2456(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 985(E) dated 4 May 2011 & S.O. 2943 (E) dated 30 September, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) dated 4 May, 2011 & 30 September, 2013, namely;

In the preamble as well as in the schedule of on the aforesaid Notifications wherever the entry "Ramabai Nagar" is appearing, the same may be substituted the entry "Kanpur Dehat".

[F. No. 11013/2013/LA-Notif./PIU-Kanpur]

MAYA PRAKASH, Director

Foot Note:- The principal notification was published *vide* No. S.O. 985 (E) dated 4 May, 2011 & S.O. 2943(E) dated 30 September, 2013, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), dated 4 May, 2011 & 30 September, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.